



फर्द अहकाम

बनाम

आयालय

ख्या

क्रमा	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	20/4/23	<p>पहावली पेशा हुई। वादीगण की ओर से रमेश चौधरी एड. ने अकालतनामा पेश किया, जो व बहस दावा वकील वादी की हुनी गई। पहावली अकालतवेज का परीक्षण किया गया तो दावा वादी डिक्री किया जा रहा है। निर्णय वृषक ले लिखा जाकर संलग्न है। निर्णयानुसार डिक्री जारी हो। निर्णय की पालना हेतु लिखा जावे। पहावली वाद उच्चतम न्यायिक दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड, चाकसू (जयपुर) </p>	
	12/5/23	<p>पहावली आज वकील वादी के प्रा. पत्र 152 CPC का पेश होने पर तलब की गई। वकील वादी के प्रा. पत्र पर हुना गया व प्रा. पत्र एवं पहावली का अवलोकन किया गया तो दावे में अंकन करते समय लिपिकीय त्रुटि ले श्रीनिवास पुर हरदेव का 1/4 हिस्से में ले वादीगण को 1/3, 1/3 का घोषित (अंकित) किया जाना चाहिए था जो अंकन 1/4, 1/4 हिस्सा अंकित कर दिया गया, जो गलत अंकन हो गया जिले दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रा. पत्र 152 CPC का (वीकट किया जाकर दावा व निर्णय डिक्री में श्रीनिवास पुर हरदेव के 1/4 हिस्सा में ले वादीगण को 1/3, 1/3 हिस्सा अंकित किया जाने के आदेश दिए जाते हैं। जिले नोटबाल स्पाटी में दावा निर्णय व डिक्री में अंकित किया जावे। प्रा. पत्र पहावली के ताल संलग्न है।</p>	


 उपखण्ड अधिकारी
 चाकसू (जयपुर)